फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री निकेत कुमार कौशिक कुमार शाह
निवासी खसरा नं. 971 / 881 अरासना
झांकर रोड अरासना पोस्ट नांदिया
तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 64 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 05.09.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव अरासना, झांकर, नांदिया, झाडौली, वीरवाडा एवं जनापुर में स्थित गौचर भूमि के खसरा नम्बर मय नक्शा एवं क्या गौशाला के पशुओं को चराने के लिए गौचर भूमि का उपयोग किया जा सकता है यदि हां तो कितने क्षेत्र तक किया जा सकता है एवं यदि कोई गांव का व्यक्ति पशुओं को चराने से रोकता है तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं एवं यदि गोचर भूमि पर किसी का कब्जा है तो उसके विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं यदि किसी सरकारी योजना के तहत गौशाला को गोचर भूमि आंवटित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 05.09.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव अरासना, झांकर, नांदिया, झाडौली, वीरवाडा एवं जनापुर में स्थित गौचर भूमि के खसरा नम्बर मय नक्शा एवं क्या गौशाला के पशुओं को चराने के लिए गौचर भूमि का उपयोग किया जा सकता है यदि हां तो कितने क्षेत्र तक किया जा सकता है एवं यदि कोई गांव का व्यक्ति पशुओं को चराने से रोकता है तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं एवं यदि गोचर भूमि पर किसी का कब्जा है तो उसके विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं यदि किसी सरकारी योजना के तहत गौशाला को गोचर भूमि आंवटित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bcl (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner